प्रेस नोट
जनपद – संतकबीरनगर
दिनांक – 23.06.2026

क्रैक साइबर क्राइम अभियान के तहत साइबर ठगी के शिकार पीड़ित को साइबर हेल्प हेस्क थाना कोतवाली खलीलाबाद द्वारा 4900 रुपये की धनराशि कराई गयी वापस

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन में क्रैक साइबर क्राइम अभियान के तहत साइबर अपराधों की रोकथाम एवं पीड़ितों को त्वरित राहत दिलाने के क्रम में साइबर हेल्प डेस्क थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा सतत प्रभावी कार्रवाई कार्यवाही करते हुए साइबर ठगी के शिकार पीड़ित को 4900 रुपये की धनराशि उनके खातों में वापस कराई गयी।

घटना का संक्षिप्त विवरण- श्री सुरज पुत्र शैलेन्द्र निवासी लक्ष्मीपुर निचौरा थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर ने दिनाँक 16.03.2026 को आवेदक का किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा मोबाइल फोन हैक करके आवेदक के खाते से फ्राड बैंक खाते में स्थानांतरित कर लेने के सम्बन्ध मे तत्काल थाना कोतवाली खलीलाबाद में शिकायत दर्ज कराया। साइबर हेल्प डेस्क पर तैनात आरक्षी रविकान्त कुशवाहा द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए NCRP पोर्टल पर शिकायत पंजीकृत की गयी। पुलिस की प्रभावी पैरवी से 4900 रुपये की धनराशि को आवेदक के खाते में सफलतापूर्वक वापस करा दी गयी है।

बरामदगी टीम- प्रभारी निरीक्षक श्री जयप्रकाश दूबे, प्रभारी साइबर सेल श्री वीरेन्द्र कुमार यादव, का0 रविकान्त कुशवाहा, म0का0 शिवांगी सिंह, का0 अनुज शुक्ला, का0 ऋतिक वर्मा

।*जनता से अपील*

01. जनपद पुलिस ने आम नागरिकों से अपील की है कि वे किसी भी अज्ञात व्यक्ति द्वारा भेजे गए लिंक, कॉल या संदेश पर अपनी बैंक जानकारी, ओटीपी, पासवर्ड या यूपीआई पिन साझा न करें।
02. कोई व्यक्ति फोन पर रिश्तेदार या दोस्त बनकर पैसों की मांग करे, तो बिना उसकी पहचान की पुष्टि (वीडियो कॉल या अन्य माध्यम से) किए पैसे न भेजें।
03. साइबर अपराधी अक्सर आवाज बदलकर या भावनात्मक दबाव बनाकर ठगी करते हैं।
04. किसी भी संदिग्ध लेनदेन की शिकायत तुरंत 1930 हेल्पलाइन नंबर अथवा cybercrime.gov.in पर दर्ज करें।

इस पर पीड़ित द्वारा थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस की भूरी भूरी प्रसंशा की गयी।

उक्त प्रकरण में थाना दुधारा पर आवेदिका श्रीमती गायत्री देवी पत्नी रामभोग निवासिनी राजपुर सरैया थाना दुधारा जनपद संतकबीरनगर के तहरीर के आधार पर मु0अ0सं0 266/2026 धारा 137(2) बीएनएस बनाम अज्ञात के विरुद्ध पंजीकृत कर नियमानुसार विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

"ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान के तहत संतकबीरनगर पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप मारपीट व गाली गलौज करने के मामले में 04 अभियुक्तों को न्यायालय उठने तक की सजा व कुल 4,000रुपये के अर्थदण्ड से किया गया दण्डित

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन में चलाए जा रहे ***"ऑपरेशन कन्विक्शन"*** अभियान के दृष्टिगत संतकबीरनगर पुलिस के द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन द्वारा प्रभावी पैरवी के क्रम में दिनाँक 23.06.2026 को न्यायाधिकारी माननीय ग्राम न्यायालय मेंहदावल जनपद संतकबीरनगर द्वारा 04 अभियुक्तों को न्यायालय उठने तक की सजा व कुल 4,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

घटना विवरणः-

वादी मुकदमा श्री इंसान अली पुत्र नाजिर अली निवासी सोनौरा गुमान राय थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर द्वारा दिनांक 14.08.2018 को अभियुक्तगण 01. राजू विश्वकर्मा पुत्र बाबूराम 02. संजय विश्वकर्मा पुत्र बाबूराम 03.धर्मराज पुत्र राम नेवास 04. सत्येन्द्र विश्वकर्मा पुत्र कोदई निवासीगण सोनौरा गुमान राय थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर के विरुद्ध मारपीट करने व गाली गलौज करने के सम्बन्ध में थाना बखिरा पर प्रार्थना पत्र देकर अभियोग पंजीकृत कराया गया था। विवेचक उ0नि0 श्री जयप्रकाश सिंह द्वारा साक्ष्य संकलन के आधार पर आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया था।

सजा विवरणः-

मु0अ0सं0 429/2018 धारा 323/504 भादवि थाना बखिरा से सम्बन्धित अभियुक्तगण उपरोक्त को मा0 न्यायालय द्वारा दोषसिद्धि के आधार पर न्यायालय उठने तक की सजा व प्रत्येक को 01-01 हजार रुपये (कुल 4000रु0) के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

"ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान के तहत संतकबीरनगर पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप मारपीट व घर मे तोड़फोड़ करने के मामले में 03 अभियुक्तों को न्यायालय उठने तक की सजा व कुल 4500 रुपये के अर्थदण्ड से किया गया दण्डित

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन में चलाए जा रहे ***"ऑपरेशन कन्विक्शन"*** अभियान के दृष्टिगत संतकबीरनगर पुलिस के द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन द्वारा प्रभावी पैरवी के क्रम में दिनाँक 23.06.2026 को न्यायाधिकारी माननीय ग्राम न्यायालय मेंहदावल जनपद संतकबीरनगर द्वारा 03 अभियुक्तों को न्यायालय उठने तक की सजा व कुल 4,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

घटना विवरणः-

वादी मुकदमा श्री इन्द्रेश पुत्र गंगाराम लोद निवासी पटवरिय थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर द्वारा दिनांक 19.06.2022 को अभियुक्तगण 01. निसार अहमद पुत्र गुलाम नबी 02. फरहान अख्तर पुत्र जमाल अहमद 03.मो0 आमिर पुत्र असलम निवासीगण पटवरिया थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर के विरुद्ध मारपीट करने व घर में तोड़फोड़ करने के सम्बन्ध में थाना बखिरा पर प्रार्थना पत्र देकर अभियोग पंजीकृत कराया गया था। विवेचक उ0नि0 श्री प्रमोद कुमार यादव द्वारा साक्ष्य संकलन के आधार पर आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया था।

सजा विवरणः-

मु0अ0सं0 147/2022 धारा 323/504/427 भादवि थाना बखिरा से सम्बन्धित अभियुक्तगण उपरोक्त को मा0 न्यायालय द्वारा दोषसिद्धि के आधार पर न्यायालय उठने तक की सजा व प्रत्येक को 15-15 सौ रुपये (कुल 4500 रु0) के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड न अदा करने पर 01-01 माह के कारावास का दण्ड भुगतना पड़ेगा।

"ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान के तहत संतकबीरनगर पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मारपीट व गम्भीर चोट कारित करने के मामले में 01 अभियुक्त को जेल में बिताई गयी अवधि व कुल 5000 रुपये के अर्थदण्ड से किया गया दण्डित

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन में चलाए जा रहे ***"ऑपरेशन कन्विक्शन"*** अभियान के दृष्टिगत संतकबीरनगर पुलिस के द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन द्वारा प्रभावी पैरवी के क्रम में दिनाँक 23.06.2026 को मा0 न्यायालय-सी0जे0(जे0डी0)/जे0एम0 जनपद संतकबीरनगर द्वारा 01 अभियुक्त को जेल में बिताई गयी अवधि व कुल 5,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

घटना विवरणः-

वादिनी मुकदमा श्रीमती चंपा देवी पत्नी नेबूलाल निवासी मूड़ाडीहा बेग थाना दुधारा जनपद संतकबीरनगर द्वारा दिनांक 25.03.2008 को अभियुक्त रामदास पुत्र सिद्धू निवासी मूड़ाडीहा बेग थाना दुधारा जनपद संतकबीरनगर के विरुद्ध मारपीट करने व गम्भीर चोट कारित करने के सम्बन्ध में थाना दुधारा पर प्रार्थना पत्र देकर अभियोग पंजीकृत कराया गया था। विवेचक उ0नि0 श्री जे0पी0 शुक्ला द्वारा साक्ष्य संकलन के आधार पर आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया था।

सजा विवरणः-

मु0अ0सं0 112/2008 धारा 323/325/504/506 भादवि थाना दुधारा से सम्बन्धित अभियुक्त उपरोक्त को मा0 न्यायालय द्वारा दोषसिद्धि के आधार पर जेल में बिताई गयी अवधि व 5000 रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड न अदा करने पर 05 दिवस के कारावास का दण्ड भुगतना पड़ेगा।

"ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान के तहत संतकबीरनगर पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप आर्म्स एक्ट के मामले में 01 अभियुक्त को जेल में बिताई गयी अवधि व कुल 2000 रुपये के अर्थदण्ड से किया गया दण्डित

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन में चलाए जा रहे ***"ऑपरेशन कन्विक्शन"*** अभियान के दृष्टिगत संतकबीरनगर पुलिस के द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन द्वारा प्रभावी पैरवी के क्रम में दिनाँक 23.06.2026 को मा0 न्यायालय-सी0जे0(जे0डी0)/जे0एम0 जनपद संतकबीरनगर द्वारा 01 अभियुक्त को जेल में बिताई गयी अवधि व कुल 2,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

घटना विवरणः-

वादी मुकदमा उ0नि0 श्री गोकर्ण सिंह थाना दुधारा जनपद संतकबीरनगर द्वारा दिनांक 10.12.2001 को अभियुक्त अकबर उर्फ जाफर पुत्र मो0 नबी बंजारा निवासी दुर्गजोत थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर के पास से 01 अदद अवैध देशी कट्टा .315 बोर व 03 अदद कारतूस (01 खोखा व 02 जिन्दा) बरामद करते हुए थाना दुधारा पर अभियोग पंजीकृत कराया गया था। विवेचक उ0नि0 श्री अली मजहर द्वारा साक्ष्य संकलन के आधार पर आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया था।

सजा विवरणः-

मु0अ0सं0 145/2001 धारा 25 आर्म्स एक्ट थाना दुधारा से सम्बन्धित अभियुक्त उपरोक्त को मा0 न्यायालय द्वारा दोषसिद्धि के आधार पर जेल में बिताई गयी अवधि व 2000 रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड न अदा करने पर 07 दिवस के कारावास का दण्ड भुगतना पड़ेगा।

दबिश के दौरान 01 वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन में जनपद में वांछितों व न्यायालय में हाजिर न होने वाले अभियुक्तों के खिलाफ जारी गैर जमानतीय वारण्ट के तहत फरार चल रहे अभियुक्तों की गिरफ्तारी के क्रम में ***थाना बखिरा पुलिस*** द्वारा 01 नफर वारण्टी नाम पता राम सहाय पुत्र लखन निषाद निवासी झुंगिया थाना बखिरा जनपद सन्तकबीरनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।
गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरणः- उ0नि0 श्री राम मिलन साहनी, का0 लवकेश यादव।

शान्ति भंग (170/126/135 बीएनएसएस) में 06 अभियुक्त गिरफ्तार

थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।
थाना दुधारा पुलिस द्वारा 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।
थाना मेंहदावल पुलिस द्वारा 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 03 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।
थाना बेलहरकला पुलिस द्वारा 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

पीआरवी आफ द डे

पीआरवी 6884 द्वारा चाकू लगने से घायल 01 व्यक्ति को पहुँचाया गया अस्पताल– पीआरवी 6884 को थाना बेलहरकला क्षेत्रांतर्गत गंगौरा से कालर द्वारा चाकू से घाव लगने के कारण घायल 01 व्यक्ति (1.राधेश्याम पुत्र सुनर ग्राम बेलहरकला वार्ड न07 थाना बेरहरकला जनपद सन्तकबीरनगर) के सम्बन्ध में सूचना दिया ,सूचना प्राप्त होते ही पीआरवी कर्मियों द्वारा त्वरित गति से घटनास्थल पर पहुँचकर दुर्घचना में घायल व्यक्ति को एम्बुलेंस की सहायता से सीएचसी मेहदावल भेजवाया गया। घटना के सम्बन्ध में थाना बेलहरकला को अवगत कराया गया। पीआरवी कर्मियों की सतर्कता व सूझबूझ से घायल व्यक्ति को एम्वुलेंस की सहायता से सीएचसी मेहदावल भेजवाया गया। जिसकी स्थानीय व्यक्तियों सराहना व प्रशंसा की गयी।
पीआरवी स्टाफ- का0 राजकुमार कश्यप, का0 पवन यादव, हो0गा0चा0 दुर्गा प्रसाद।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 235 वाहनों से 2,71,500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनाँक 23.06.2026 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रो मे बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियो की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 235वाहनों से 2,71,500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।